D.I.O, NIC

प्रेषक,

मुख्य कोषाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

ADM(F/R)
8-6-18

अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0),
देहादून।

पत्र सं0 :– 298 /अधि0(सा0)/कोष/दे0दून/2018–19, **दिनांक 8 जून, 2018**

विषय :– स्थानांतरण आदेश को वेबसाइट में प्रदर्शित करने विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) की धारा 23(10) के अन्तर्गत निर्गत स्थानांतरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना है।

अतः उक्त के अनुकम में जनपद कोषागार एंव अधीनस्थ उपकोषागार, जनपद देहरादून में तैनात कार्मिकों के स्थानांतरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट में एन0आई0सी0 देहरादून के माध्यम से प्रदर्शित कराने कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

मुख्य कोषाधिकारी,
देहरादून।
8-6-18

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानांतरण समिति की संस्तुति दिनांक 29, मई 2018 के कम में निम्न कार्मिकों का स्थानांतरण जनहित में निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या–03 से 04 पर अकित स्थान पर निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री परमीत सिंह	कोषागार देहरादून	उपकोषागार त्यूनी	उपकोषागार त्यूनी में लेखाकार के रिक्त पद पर।
2.	श्रीमती नमिता जोशी, लेखाकार	कोषागार देहरादून	उपकोषागार चकराता	उपकोषागार चकराता में लेखाकार के रिक्त पद पर।
3.	श्री राहुल अग्रवाल, लेखाकार	उपकोषागार विकासनगर	कोषागार देहरादून	श्री परमीत सिंह लेखाकार पेंशन के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त पद पर।
4.	श्री गंगा राम, लेखाकार	कोषागार देहरादून	उपकोषागार विकासनगर	श्री राहुल अग्रवाल लेखाकार के स्थानांतरण होने पर लेखाकार के रिक्त पद पर।

श्री परमीत सिंह लेखाकार अपने पद का कार्यभार श्री कौशल कुमार, लेखाकार को, श्रीमती नमिता जोशी, लेखाकार अपने पद का कार्यभार श्री अरविन्द कुमार सक्सैना, लेखाकार रोकड, को, श्री राहुल अग्रवाल, लेखाकार अपने पद का कार्यभार श्रीमती कविता कांडपाल, सहायक लेखाकार को एंव श्री गंगा राम, लेखाकार अपने पद का कार्यभार श्रीमती ममता पुण्डीर, सहायक लेखाकार को सौपकर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

स्थानांतरित किये गये कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। कार्यभार न छोडने की स्थिति में उक्त कार्मिकों को स्थानांतरण आदेश निर्गत होने की दिनांक से सातवें दिन की अपराह्न में स्वतः ही कार्यमुक्त माने जायेंगे। स्थानांतरित किये गये कार्मिकों का माह जून 2018 का वेतन नवतैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

7/6/18

(एस0ए0 मुरूगेशन)
आई0ए0एस0,
जिलाधिकारी, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

सं0– 296 / XIV-28(तीन) / व्य0प0 / अधि0 / कोष / 2018–19, दिनांक: 07 जून, 2018

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी, देहरादून।
3. कोषाधिकारी देहरादून।
4. उपकोषाधिकारी विकासनगर, चकराता, त्यूनी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. समस्त सहायक कोषाधिकारी, देहरादून।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
7. सम्बन्धित कार्मिकों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

मुख्य कोषाधिकारी,
देहरादून।